mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बी-6/नियमन/वि.अनु./सफल फूड/681/2279 भोपाल, दिनांक 18/01/2023

प्रति

मेसर्स सफल फूड प्रोडक्टस प्रायवेट लिमिटेड,
(M/s SAFAL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED)
प्लाट क्र. - **41, 42, 46** एवं **47, एकेव्हीएन फूडपार्क,**
बोरगांव - **480108**, जिला **छिंदवाडा (मध्यप्रदेश)**

विषय - मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध मे।

संदर्भ - मेसर्स सफल फूड प्रोडक्टस प्रायवेट लिमिटेड का आवेदन दिनांक30/09/2022।

मेसर्स सफल फूड प्रोडक्टस प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति लिये जाने हेतु प्ररूप-एक मे आवेदन दिनांक 30/09/2022 प्रस्तुत किया गया है जिसमे मध्यप्रदेश के कृषि उपज मंडी समिति **बेड़ियां, सनावद, सौंसर, कुक्षी, धामनोद** के मंडी प्रांगण एवं उप मंडी प्रांगण मे अधिसूचित कृषि उपज सूखी मिर्च, हल्दी, धनिया, अमचूर, कैरी, हरी मिर्च, नींबू, टमाटर, राई, मैथी, कद्दू, इमली, सोयाबीन, जीरा के क्रय हेतु अनुमति चाही गई है।

2. **मेसर्स सफल फूड प्रोडक्टस प्रायवेट लिमिटेड** के द्वारा मंडी समितियों के लागू उपविधि सन 2000 कंडिका 18(3) मे निर्धारित प्रारूप-छः मे एक दिन की अधिकतम रुपये 15 लाख मूल्य की कृषि उपज खरीदी करने संबधी घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **मेसर्स सफल फूड प्रोडक्टस प्रायवेट लिमिटेड** के द्वारा विनिर्दिष्ट मंडियो मे खरीदी हेतु प्रतिभूति स्वरूप रूपये 15 लाख की एचडीएफसी बैंक नागपुर की एफडीआर दिनांक 28/12/2022 मंडी बोर्ड मे प्रस्तुत की गई है। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 28 दिसम्बर 2027 तक है।

4. **मेसर्स सफल फूड प्रोडक्टस प्रायवेट लिमिटेड** को उक्त मंडी समितियों में अधिसूचित कृषि उपज केवल "सब्जी, फल तथा फूल", "मसाले" एवं "तिलहन" के क्रय से संबंधित विक्रेता के साथ प्ररूप-पांच मे करार, प्ररूप-छः विक्रय बाउचर तथा मंडी समिति के कार्यालय मे, क्रय-विक्रय से संबंधित प्ररूप-सात मे पाक्षिकी विवरण, प्ररूप-आठ मे दैनिक क्रय विवरण, उपाबंध-एक अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय / निर्गमन के संबंध मे, उपाबंध-दो मे पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

19/01/23

5. नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4 (दो) में एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज केवल "सब्जी, फल तथा फूल", "मसाले" एवं "तिलहन" के क्रय हेतु मंडी का नाम का विवरण देना प्रावधानित है, जिसके अनुसार **मेसर्स सफल फूड प्रोडक्टस प्रायवेट लिमिटेड** द्वारा समय-समय पर कृषि उपज के खरीदी / विक्रय के स्थान की मंडी बोर्ड एवं संबंधित मंडी समितियों को यथासमय जानकारी उपलब्ध करवाई जाये।

6. नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10, 12 के अनुसार **मेसर्स सफल फूड प्रोडक्टस प्रायवेट लिमिटेड** को कृषि उपज मंडी प्रांगण **बेड़ियां, सनावद, सौंसर,** कुक्षी, **धामनोद** मे अधिसूचित कृषि उपज केवल "सब्जी, फल तथा फूल", "मसाले" एवं "तिलहन" के क्रय-विक्रय के लिए, अनन्तिम रूप से एक वर्ष के लिये यह विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुज्ञप्ति प्ररूप-3 में परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है ।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

18/01/23
(जी व्ही रश्मि)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

C:\Users\Acer\Desktop\sandeep folder 2022-23\sandeep letter.doc

क्रमांक/बी-6/नियमन/वि.अनु./सफल फूड/681/2280 भोपाल, दिनांक 18/01/2023

प्रतिलिपि

1. संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/ इंदौर/ उज्जैन/ जबलपुर/ सागर/ ग्वालियर/ रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। **मेसर्स सफल फूड प्रोडक्टस प्रायवेट लिमिटेड छिंदवाड़ा को नियम**, 2009 **(यथासंशोधित)** के नियम 4 मे उपनियम (2) के अधीन उपरोक्तानुसार नवीन विशेष अनुज्ञप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल "सब्जी, फल तथा फूल", "मसाले" एवं "तिलहन" लिए स्वीकृत की गई है। विशेष अनुज्ञप्तिधारक द्वारा मंडी अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराएं।

2. कृषि उपजं मण्डी समिति....... जिला........... (समस्त) (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। **मेसर्स सफल फूड प्रोडक्टस प्रायवेट लिमिटेड छिंद**वाड़ा को नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10, 12 के अधीन जारी विशेष अनुज्ञप्ति उपरोक्तानुसार अधिसूचित कृषि उपज केवल "सब्जी, फल तथा फूल", "मसाले" एवं "तिलहन" के लिए स्वीकृत की गई है। विशेष अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराएं।

3. अपर संचालक (आईटी सेल), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारक मेसर्स सफल फूड प्रोडक्टस प्रायवेट लिमिटेड छिंदवाड़ा को स्वीकृत नवीन विशेष अनुज्ञप्ति की प्रविष्टि ई-अनुज्ञा मॉड्यूल में कराने हेतु।

18/01/23

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

C:\Users\Acer\Desktop\sandeep folder 2022-23\sandeep letter.doc

परिशिष्ट-अ

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

प्ररूप - तीन

(नियम 8 देखिये)

(एक से अधिक मंडी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2023/ 27 दिनांक 18 /01/2023

1 श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स सफल फूड प्रोडक्टस प्रायवेट लिमिटेड, (SAFAL FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED) पता - प्लाट क्रमांक - 41, 42, 46 एवं 47, एकेव्हीएन फूडपार्क, बोरगांव-480108, जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार हेतु तारीख ..18..माह जनवरी वर्ष 2023 को विशेष अनुज्ञप्ति अनंतिम रूप दी जाती है:-

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति दी गई है/ नवीनीकृत की गई	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति दी गई है	संबंधित मंडी समिति/ समितियों के नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1.	"सब्जी, फल तथा फूल", "मसाले" एवं "तिलहन"	बेड़ियां जिला खरगोन	कृषि उपज मंडी समिति बेड़ियां जिला खरगोन	-	सफल फूड प्रोडक्टस लिमिटेड, प्लाट क्र. 41, 42, 46 एवं 47, एमपीआईडीसीएल फूडपार्क, बोरगांव तहसील सौंसर जिला छिन्दवाडा	1- श्री अश्विन पितलिया मो.नं.-8226001507 2- श्री विशाल जैन मो.नं-9589530779
2.	"सब्जी, फल तथा फूल", "मसाले" एवं	सनावद जिला खरगोन	कृषि उपज मंडी समिति	-	सफल फूड प्रोडक्टस लिमिटेड, प्लाट क्र. 41, 42, 46 एवं 47,	1- श्री अश्विन पितलिया मो.नं.-8226001507

	"तिलहन"		सनावद जिला सनावद		एमपीआईडीसीएल फूडपार्क, बोरगांव तहसील सौंसर जिला छिन्दवाडा	2- श्री विशाल जैन मो.नं-9589530779
3.	"सब्जी, फल तथा फूल", "मसाले" एवं "तिलहन"	सौंसर जिला छिन्दवाडा	कृषि उपज मंडी समिति सौंसर जिला छिन्दवाडा	-	सफल फूड प्रोडक्टस लिमिटेड, प्लाट क्र. 41, 42, 46 एवं 47, एमपीआईडीसीएल फूडपार्क, बोरगांव तहसील सौंसर जिला छिन्दवाडा	1- श्री अश्विन पितलिया मो.नं.-8226001507 2- श्री विशाल जैन मो.नं-9589530779
4.	"सब्जी, फल तथा फूल", "मसाले" एवं "तिलहन"	कुक्षी जिला धार	कृषि उपज मंडी समिति कुक्षी जिला धार	-	सफल फूड प्रोडक्टस लिमिटेड, प्लाट क्र. 41, 42, 46 एवं 47, एमपीआईडीसीएल फूडपार्क, बोरगांव तहसील सौंसर जिला छिन्दवाडा	1- श्री अश्विन पितलिया मो.नं.-8226001507 2- श्री विशाल जैन मो.नं-9589530779
5.	"सब्जी, फल तथा फूल", "मसाले" एवं "तिलहन"	धामनोद जिला धार	कृषि उपज मंडी समिति धामनोद जिला धार	-	सफल फूड प्रोडक्टस लिमिटेड, प्लाट क्र. 41, 42, 46 एवं 47, एमपीआईडीसीएल फूडपार्क, बोरगांव तहसील सौंसर जिला छिन्दवाडा	1- श्री अश्विन पितलिया मो.नं.-8226001507 2-श्री विशाल जैन मो.नं-9589530779

2 इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष मे समस्त क्रय केंद्रों में मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे:

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मेट्रिक टन में {नियम 4 (2) देखिए}
1	"सब्जी, फल तथा फूल"	1000 मेट्रिक टन
2	"मसाले"	1000 मेट्रिक टन
3	"तिलहन"	2000 मेट्रिक टन

3' अनुज्ञप्तिधारी, इस अनुज्ञप्ति के दिये जाने/नवीनीकृत किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:-

1. इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
2. पेयजल की समुचित व्यवस्था
3. समुचित प्रकाश व्यवस्था
4. पुरूष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
5. शेड की व्यवस्था
6. कृषको के लिये छायादार विश्राम स्थल
7. भुगतान काउन्टर
8. टेक्टर ट्राली की पार्किग की समूचित व्यवस्था
9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति
10. प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तंथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे स्थापना।
11. क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण।

4 यह विशेष अंनतिम अनुज्ञप्ति दिनांक ..18../01/2023 से ..17./..01../2024 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।

5 यह अंनतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी:-

(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर.

(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर.

(तीन) मण्डी फीस का अपंवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर.

(चार) मण्डी समितियों या बौर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर.

(पॉच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियों प्रस्तुत न करने पर.

(छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर.

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर .

18/01/23

अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता
कार्यालय की मोहर

मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड